वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-912792/2977 दिनांक: 29/02/2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.087 ha of Forest Land in favour of M/s Gitansh Motors Pvt. Ltd. For access to Automoblles Services Garrage & Display Windows on NH-52 Km. 91.865 (LHS) at Village Belbalpur & Dhingtana in District Hisar, under Forest Division and District Hisar, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/154637/2022

संदर्भ : आपके कार्यालय का पत्र : 9-HRB076/2022-CHA दिनांक 12.10.2023 |

—

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज–I स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1. मद् संख्या 2(A) (i) से (vi) अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा सी0ए0 स्कीम एवं एन0पी0वी0 गणना शीट अनुसार कुल 984737/-रू0 की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाई जा चुकी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस paid है तथा ऑनलाईन कर्रवाई भी पूर्ण कर दी गई है।
2. मद् संख्या 2(A) से (vii) अनुसार एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की अण्डरटेकिंग ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त स्टेज–I स्वीकृत के मद् संख्या 2B की शर्तों अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न / उपरोक्त ।

29/2/24
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।
28/02/24 29/2/24

SPECIAL ADHESIVE

UNDERTAKING

Project Name : Diversion of 0.087 Hectare of forest land of Access to Automobiles Service Garrage & Display Window belongs to M/s Gitansh Motors Pvt. Ltd. at Village Behbalpur & Dhingtana on N.H.No.52, Barwala Hisar Road Km. 91.865 (L.H.S.) Distt. Hisar

Online Proposal NoFP/HR/Approach/154637/2022

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि, मैं Gitansh Motors Pvt. Ltd., Village Behbalpur & Dhingtana on N.H.No.52, Barwala Hisar Road Km. 91.865 (L.H.S.) Distt. Hisar ने डायवर्जन के लिए आवेदन किया है जो कि Village Behbalpur & Dhingtana on N.H.No.52, Barwala Hisar Road Km. 91.865 (L.H.S.) Distt. Hisar पर Gitansh Motors Pvt. Ltd. तक पहुंचने के लिए है :–

मैं वचन देता हूं कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:–

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

iii WP (C) No- 202/1995, IA No- 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011/FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.087 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic-in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

v पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh-nic-in) में अपलोड की जाएगी।

vi प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vii FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के द्वारा किया जाएगा ।

NOTARY
Rang Lal Luthra
Advocate
Regd No.16704
SIRSA (Hry.)
GOVT. OF INDIA

20 FEB 2024

जारी/2

Ar. K. S. Chugh
Regd. Architect
Old Hospital Road, SIRSA
Phone 01666-228175

Lav Goyal

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा| वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों के पातन में हुए खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा करवाएंगे |

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि ***Compartment No. H43P15, Dhansu Minor RD 0-7 R/Side, Hisar Range*** में **174** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि ***Compartment No. H43P15, Dhansu Minor RD 0-7 R/Side, Hisar Range*** में **394** पौधे लगाकर एसीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

v. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |

vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

vii. माननीय उच्तम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

viii. इस प्रस्ताव को **99** वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी|

ix. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

NOTARY
Rang Lal Luthra
Advocate
Regd No.16704
SIRSA (Hr.)
GOVT. OF INDIA
20 FEB 2024

Ar. R. S. Chugh
Regd. Architect
Old Hospital Road, SIRSA
Phone 01666-228175

xvi यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

NOTARY
Rang Lal Luthra
Advocate
Regd No.16704
SIRSA (Hry.)
GOVT. OF INDIA

दिनांक : 20 FEB 2024
स्थान :

(लव गोयल)
प्रबन्धक
Gitansh Motors Pvt. Ltd.
Hisar

मैं, शपथकर्ता को जाति तौर पर जानता हूं
इसने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं।

Ar. R.S. ...
Regd. Architect
Old Hospital ... SIRSA
Phone 01666-228...

I Know the deponent ...nally
He/She has signed ...umb
impression in my Presence

Attested As Identified

RANG LAL LUTHRA ADVOCATE
NOTARY PUBLIC, SIRSA
20 FEB 2024

AGENCY COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-11-2023

Agency Name.	GITANSH MOTORS PRIVATE LIMITED
Application No.	70154637036
MoEF/SG File No.	9-HRB076-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Km. 91.865 (LHS) on NH-65 (New NH 152/52) at Village Behbalpur and Dhingtana Tehsil and District HisarHisar
Amount(in Rs)	984737/-

Amount in Words :Nine Lakh Eighty-Four Thousand Seven Hundred and Thirty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970154637036 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-11-2023

Agency Name.	GITANSH MOTORS PRIVATE LIMITED
Application No.	70154637036
MoEF/SG File No.	9-HRB076-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Km. 91.865 (LHS) on NH-65 (New NH 152/52) at Village Behbalpur and Dhingtana Tehsil and District Hisar Hisar
Amount(in Rs)	984737/-

Amount in Words :Nine Lakh Eighty-Four Thousand Seven Hundred and Thirty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970154637036 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DEWLLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of **0.087 Ha.** of Forest land in favour of **Gitansh Motors Pvt. Lmt.** under forest division and district Hisar, Haryana. (Purpose for diversion of forest land) in Hisar District/ Forest Division falls with in jurisdication of **Khasra at NH – 52, Barwala – Hisar Road Km. 91.865 (LHS) Village Behbalpur & Dhingtana, under forest Division & Distt. Hisar,** Haryana.Range **Hisar** Tehsil and Distt. **Hisar.**

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the census-2011.

Divisional Forest Officer,
Hisar Forest Division,
HISAR

Signature
Deputy Commissioner
HISAR
(Full name and official seal of the District Collector)